

पीएम स्वनधि योजना की अवधि बढ़ाई गई

प्रलिस के लयि:

पीएम स्वनधि योजना, स्वनधि से समृद्धि, आत्मनरिभर भारत अभयान, आर्थकि प्रोत्साहन-II

मेन्स के लयि:

सूक्ष्म वतित, इसका महत्त्व और संबधति पहल ।

चर्चा में क्यों?

[प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनरिभर नधि \(पीएम स्वनधि\) योजना](#) की अवधि को मार्च, 2022 से आगे बढ़ाया गया है ।

वसितारति योजना के लयि प्रावधान:

- दसिंबर 2024 तक ऋण अवधि का वसितार ।
- क्रमशः ₹10,000 और ₹20,000 के पहले और दूसरे ऋण के अलावा **₹50,000 तक के तीसरे ऋण की शुरुआत** ।
- देश भर में **पीएम स्वनधि योजना** के सभी लाभार्थियों के लयि **'स्वनधि से समृद्धि'** घटक का वसितार ।
 - स्वनधि से समृद्धि को जनवरी, 2021 में 'पीएम स्वनधि' लाभार्थियों और उनके परिवारों के सामाजकि-आर्थकि प्रोफाइल को चहिणति करने हेतु लॉन्च कयिा गया था ।

पीएम स्वनधि योजना:

- परचिय:**
 - प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनरिभर नधि (पीएम स्वनधि) को [आत्मनरिभर भारत अभयान](#) के तहत **आर्थकि प्रोत्साहन-II** के एक हसिसे के रूप में घोषति कयिा गया था ।
 - इसे **1 जून, 2020** से लागू कयिा गया था, ताकडिन स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीवकि को फरि से शुरू करने के लयि कफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान कयिा जा सके, जो कोवडि-19 [लॉकडाउन](#) के कारण प्रतकिल रूप से प्रभावति हुए हैं ।
 - अब तक कुल **13,403 वेंडगि ज़ोन की पहचान की जा चुकी है** ।
 - दसिंबर, 2024 तक **42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स** को पीएम स्वनधि योजना के तहत लाभ प्रदान कयिा जाना है ।
- वतितपोषण:**
 - यह एक **केंद्रीय कषेत्र की योजना** है अर्थात यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वतित पोषति योजना है, इसके नमिनलखिति उद्देश्य हैं :
 - कार्यशील पूंजी ऋण की सुवधि उपलब्ध कराना
 - नयिमति पुनर्भुगतान को प्रोत्साहति करना तथा
 - डजिटिल लेनदेन हेतु पुरस्कृत करना
- महत्त्व:**
 - यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लयि आर्थकि वकिस के नए अवसर प्रदान करेगी ।
- पात्रता:**
 - राज्य और केंद्र शासति प्रदेश:
 - यह योजना केवल उन्हीं राज्यों/केंद्र शासति प्रदेशों के लाभार्थियों के लयि उपलब्ध है, जनिहोंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीवकि का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडगि का वनियमन) अधनियम, 2014 के तहत नयिम और योजना अधसिचति की है ।
 - हालाँकभेघालय के लाभार्थी जसिका अपना स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, भाग ले सकता है ।
- स्ट्रीट वेंडर्स:**

- यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स (पथ में वस्तु और सेवा के विक्रेताओं) के लिये उपलब्ध है।
 - इससे पहले यह योजना 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिये उपलब्ध थी।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ):

प्रश्न: क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2021)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pm-svanidhi-scheme-extended>

